

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 134]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च 2020—फाल्गुन 30, शक 1941

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2020

क्र. एफ-ए-3-42-2017-1-पांच(14).—मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19, सन् 2017) की धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-42-2017-1-पांच(53) दिनांक 18 अक्टूबर 2017, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 41 के समक्ष,—

- (क) कॉलम (3) में, अंक "50", उन दोनों जगहों पर जहां-जहां यह आए हों, के स्थान पर अंक "20" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ख) कॉलम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :—

(5)

बशर्ते कि पट्टे पर दिए गए प्लाट्स का उपयोग उसी उद्देश्य के लिये किया जाना होगा जिसके लिए इनका आबंटन किया गया हो, अर्थात् किसी औद्योगिक या वित्तीय व्यापारिक क्षेत्र में औद्योगिक या वित्तीय कारोबार हेतु;

बशर्ते और भी कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार राज्य सरकार इसकी परिवीक्षा करेगी और उपर्युक्त शर्त को लागू करेगी;

बशर्ते और भी कि यदि कोई उल्लंघन होता है या बाद में भू-उपयोग में कोई परिवर्तन होता है, चाहे जिस किसी भी कारण से, तो मूल पट्टाकर्ता, मूल पट्टाग्राही साथ ही साथ तदंतर का कोई भी पट्टाग्राही या क्रेता या स्वामी संयुक्त रूप से और अलग-अलग भी राज्य कर की उतनी राशि का भुगतान करने के लिये दायी होंगे जितनी कि यदि यह छूट न दी गई होती तो प्लाट्स को दीर्घकालीन पट्टे पर दिए जाने की स्थिति में भारित "अपफ्रंट रकम" देय होता, साथ ही वे देय ब्याज तथा शास्ति का भी भुगतान करने के प्रति इसी प्रकार दायी होंगे.

(5)

बशर्ते और भी कि यदि मूल पट्टाकर्ता का मूल पट्टाग्राही या तदंतर का पट्टाग्राही या उप पट्टाग्राही के साथ कोई करार होता है अथवा ऐसे प्लॉट्स का तदंतर पट्टादग्राही या क्रेता या स्वामी के साथ पट्टे या बिक्री के लिए बाद में कोई पट्टा या बिक्री का करार होता है तो ऐसे करार की शर्तों में यह भी उल्लेख होगा कि उपर्युक्त शर्त के अधीन रहते हुए मूल पट्टाग्राही को मूल पट्टाकर्ता द्वारा प्लॉट्स को दीर्घकालीन पट्टे पर दिए जाने पर राज्य कर से छूट प्रदान की गई थी और उक्त करार के पक्षकार उक्त शर्त का अनुपालन करने का वचन देते हैं।

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 जनवरी, 2020 से लागू होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2020

क्र. एफ-ए-3-42-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-42-2017-1-पांच (14), दिनांक 20 मार्च 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 20th March 2020

No. F-A-3-42-2017-1-V(14).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and sub-section (4) of Section 9, sub-section (1) of Section 11, sub-section (5) of Section 15 and Section 148 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department Notification No. F-A-3-42-2017-I-V (53), dated 30th June 2017, namely :—

In the said notification, in the Table, against serial number 41,—

- (a) in column (3), for the figure "50", at both the places where they occur, the figure "20" shall be substituted;
- (b) for the entry in column (5), the following entries shall be substituted, namely :—

(5)

"Provided that the leased plots shall be used for the purpose for which they are allotted, that is, for industrial or financial activity in an industrial or financial business area:

Provided further that the State Government concerned shall monitor and enforce the above condition as per the order issued by the State Government in this regard:

Provided also that in case of any violation or subsequent change of land use, due to any reason whatsoever, the original lessor, original lessee as well as any subsequent lessee or buyer or owner shall be jointly and severally liable to pay such amount of State tax, as would have been payable on the upfront amount charged for the long term lease of the plots but for the exemption contained herein, along with the applicable interest and penalty:

Provided also that the lease agreement entered into by the original lessor with the original lessee or subsequent lessee, or sub-lessee, as well as any subsequent lease or sale agreements, for lease or sale of such plots to subsequent lessees or buyers or owners shall incorporate in the terms and conditions, the fact that the State tax was exempted on the long term lease of the plots by the original lessor to the original lessee subject to above condition and that the parties to the said agreements undertake to comply with the same."

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2020.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ADITI KUMAR TRIPATHI, Dy. Secy.